फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अजयपाल सिंह बनाम किशन सिंह

किस्म मुकदमा .....223..... आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....18.....सन.....2026.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.02.2026	यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 117/2023 बउनवान किशन सिंह बनाम अजयपाल सिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हो। अधिवक्ता अपीलांट, रेस्पोडेन्ट के तलबी हेतु पंजीकृत डाक से सम्मन तलबाना प्रस्तुत करे। पत्रावली दिनांक 18.03.2026 को पेश हो।	
18/3/26	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। वे उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते। अतः उक्त अपील बाबत विड्रॉल खारिज फरमावें। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में अपील बाबत विड्रॉल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अम्बार से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प जालोर	AFS (अजयपाल सिंह)